झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

सं0सं0-03/कृ0स0यो0-10/2020 21 /कृ0, राँची, दिनांक- 16-06-2026

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,

झारखण्ड, राँची।

द्वारा - वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)

विषय - **वित्तीय वर्ष 2026-27 मे राज्य योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना अन्तर्गत एग्री क्लीनिक उपयोजना के कियान्वयन हेतु राशि रू. 315.00 लाख (तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महोदय,

झारखण्ड राज्य में एग्री क्लीनिक योजना प्रारम्भ की गयी है जिसका उद्देश्य किसानों को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में अनुमण्डल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना की गयी है, जिसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संबद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

यह एक चालू योजना है। गत वित्तीय वर्ष इस योजनान्तर्गत रू. 315.00 लाख राशि स्वीकृत एवं आवंटित की गयी थी।

<u>योजना का कार्यान्वयन-</u>

एग्री क्लीनिक का संचालन- एग्री क्लीनिक की स्थापना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन सेंटर भवन में स्थापित है। यह भवन 1592 वर्ग फीट का है। इस भवन में 35x9 फीट का एक बरामदा, 20x15 फीट का एक कमरा, 12x10 फीट का दो कमरा, 15x10 फीट का दो कमरा के साथ शौचालय तथा 10x10 फीट का एक जेनेरेटर कमरा है। उक्त भवन में एग्री क्लीनिक के लिए चिन्हित विभिन्न कमरे निम्नांकित ले-आउट के अनुसार हैं :-

1	बरामदा	-	कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था
2.	कमरा न0-1	-	एग्री क्लीनिक के संपर्क पदाधिकारी का कमरा, कम्प्यूटर रूम
3.	कमरा न0-2	-	एग्री क्लीनिक, कम्प्यूटर रूम
4.	कमरा न0-3	-	मिनी स्वाईल टेस्टींग लैब
5.	कमरा न0-4	-	कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विशेषज्ञ/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी का कमरा
6.	कमरा न0-5	-	स्टोर रूम

एग्री क्लीनिक को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

2. **एग्री क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाएँ-** एग्री क्लीनिक में कृषकों को संलग्न तालिका परिशिष्ट-I के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी। एग्री क्लीनिक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं एवं प्रकिया के संबंध में एग्री क्लिनिक के भवन के बाहर सुस्पष्ट रूप में सूचना अंकित की

जायेगी। यह सूचना दीवार लेखन/बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों के बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था रहेगी।

3. **एग्री क्लीनिक की कार्य प्रणाली–** एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध करायेगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक की होगी। कृषकों के आगमन के उपरांत उनकी आवश्यकता के अनुरूप परिशिष्ट–I में अंकित तालिका के अनुसार आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र/लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त आवेदन को एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात पावती रसीद कृषकों को दी जायेगी एवं परिशिष्ट–I में अंकित तालिका के अनुसार कारवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसमें एग्री क्लीनिक में आने वाले कृषकों की पूरी जानकारी उद्देश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

4. एग्री क्लीनिक में मिनी स्वायल टेस्टींग लैब के साथ साथ अन्य आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>वित्तीय प्रावधान</u>

5. एक एग्री क्लीनिक संचालन हेतु रू0 7.00 लाख प्रति एग्री क्लीनिक की दर से देय होगा, जो कुल 45 एग्री क्लीनिक हेतु 315.00 लाख मात्र होगा। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट–II के रूप में संलग्न है।

6. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी निम्न बजटशीर्षान्तर्गत की जायेगी।

(राशि लाख रु. में)

क्र.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–BS–मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना, विस्तृतशीर्ष–06–अनुदान, 52–सबसिडी, 01S240100796BS000652	154.00
2	मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–102–खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष–BS–मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना, विस्तृतशीर्ष–06–अनुदान, 52–सबसिडी, 01S240100102BS000652	129.50
3	मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–BS–मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की योजना, विस्तृतशीर्ष–06–अनुदान, 52–सबसिडी, 01S240100789BS000652	31.50
	योग	**315.00**

(तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र

7. कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), राँची/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सा0)–सह–प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी इस योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

8. राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

21
10-06-2016

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सभी संयुक्त कृषि निदेशक के देख-रेख में सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

10. योजना से लाभ- एग्री क्लीनिक के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस योजना के कियान्वयन हेतु कुल 45 अनुमण्डल में ई-मोबाइल एप्स के माध्यम से किसान सूचना संचार क्षेत्र के दायरे में आ जाऐंगे। इसके पश्चात् जो भी समसामयिक कृषि विषयक सूचनाएँ कृषि, पशुपलन एवं सहकारिता विभाग किसानों तक पंहुचाना चाहेगी वह सूचना उनके मोबाईल में भेजा जा सकता है। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा - मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान केडिट कार्ड, बीज, खाद, कीटनाशी, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

11. एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसियों/संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा, जिसमें महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियाँ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) भी हो सकते हैं।

12. **एजेंसियों के चयन हेतु योग्यता-** एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

13. कार्यकारी एजेंसियों/संस्थाओं का चयन EoI के माध्यम से जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:-

(i)	उपायुक्त	- अध्यक्ष
(ii)	उप विकास आयुक्त	- सदस्य
(iii)	जिला कृषि पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक)	- सदस्य सचिव-सह-संयोजक
(iv)	जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक	- सदस्य
(v)	जिले के डी0डी0एम0, नाबार्ड	- सदस्य
(vi)	आत्मा के परियोजना निदेशक	- सदस्य

चयनित एजेंसियों/संस्थाओं को उपायुक्त के साथ एक साल के लिए MoU करना होगा। कंडिका-10 में उल्लेखित कार्यो के आधार पर चयनित एजेंसियों/संस्थाओं के Performance का मूल्यांकन कर अगले 01 वर्षों तक MoU का विस्तार किया जा सकेगा परन्तु किसी भी एजेंसी का अवधि विस्तार लगातार 02 वर्षो से अधिक नहीं होगी।

उक्त समिति द्वारा एजेंसी का चयन में वित्त विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/विधि विभाग द्वारा निर्गत नियमों/परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. **दल की संरचना (Team Composition)**- एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा, उसमें कुल तीन सदस्य होंगे, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc. (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्य-अवधि सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे होगी। रविवार एवं N.I.Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बन्द रहेगा।

एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

21
10-05-2016

15. एग्री क्लीनिक के कार्य–

- कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा, समर्पित K.C.C आवेदन को जाँचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जाएगी।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा minetjh.prosixinfotech.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुशंसित निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषक की माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- **मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।**
- संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार, खेत तालाब निर्माण, डीप बोरिंग, बिरसा पक्का चेक डैम, एनीकेलेशन टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।
- कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं की सूचनाएँ/नई योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ/ प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएँ कृषकों को उपलब्ध कराना/जागरूक करना।
- पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

16. कंडिका–14 में गठित दल द्वारा जिले में इन एग्री क्लीनिकों के परिचालन का कार्य सुचारु रूप से करते हुए निर्धारित कार्यसूची पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी–सह–बोडल

पदाधिकारी (एग्री क्लीनिक) को देना होगा। प्रतिमाह व्यय प्रतिवेदन एवं विपत्र भी उपस्थापित करना होगा ताकि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जा सके।

17. e-NAM में पंजीकृत किसानों को SMS के माध्यम से सामायिक कृषि मौसम, फसल, मंडीभाव एवं कीटव्याधि आदि की सूचना देना भी कार्यकारी एजेंसियों का दायित्व होगा। इस कार्य हेतु वे विपणन सचिव से समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर लेंगे।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे देखे कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे किसी दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी रोक कर इसके नियंत्रण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगें। साथ ही, निकासी की गई राशि का लेखा संधारण करते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक परिपत्र 2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

19. लेखा संधारण का कार्य संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अंकेक्षण कार्यों के लिए प्रयुक्त होगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5 तारीख तक अनिवार्यतः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगें।

20. योजना के कार्यान्वयन में विभागीय संकल्प सं0-3172 दिनांक-25.10.2012 तथा 3688 दि0-05.10.2015 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित शक्तियों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

21. सभी संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक अपने परिक्षेत्रों के अधीन योजना का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं साक्ष्य अनुश्रवण का कार्य करेंगें तथा योजना का सफल कार्यान्वयन कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगें। अपने परिक्षेत्रों के अधीन योजना का समेकित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7 तारीख तक अनिवार्यतः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगें।

22. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0-1269 दि0-21.09.2023 के कंडिका-9.4 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

23. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन इस निदेश के साथ प्रदान किया गया है कि- (i) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ-साथ अन्य विभागीय शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया जाय। (ii) योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि इसके मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का विचलन न हो।

24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0रा0यो0-10/2020.....21..... /कृ0, राँची, दिनांक-14-06-2026

प्रतिलिपि-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0रा0यो0–10/2020.....21..... /कृ0, राँची, दिनांक–10-06-2026

प्रतिलिपि–कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0–directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0रा0यो0–10/2020.....21..... /कृ0, राँची, दिनांक–10-06-2026

प्रतिलिपि-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त विशेष सलाहकार/उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संयोजित जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक (मिशन संचालन), राँची/संयोजित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/संयोजित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/कोडरमा पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

एग्री क्लीनिक केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी विवरण

क्र. सं.	उपलब्ध सेवा	कृषक के द्वारा की जाने वाली कारवाई	एग्री क्लिनिक सेंटर द्वारा की जाने वाली कारवाई	अभिमुक्ति
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	खेत का स्पष्ट विवरण के साथ आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न. का उल्लेख रहेगा।	कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रक्षण तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	कृषक के आवेदन पत्र की पावती कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
2	किसान क्रेडिट कार्ड	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	संपर्क पदाधिकारी/प्रक्षण तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित आवेदन को व्हीपोर्टल सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।	कृषक के आवेदन पत्र की पावती कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3	बीज खाद बीटनाशी	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	कृषक से संबंधित क्षेत्र क्षेत्र में अधिसूचित विक्रेता/फिक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक की माँग के अनुसार/खाद/बीज के लिए तदनुसार टोकन संबंधित दुकान/फिक्स को निर्गत किया जायेगा। टोकन पर राज्य सरकार द्वारा बीज पर दिये जाने वाले अनुदान के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख रहेगा।	खाद/बीज कृषक के कृषि योग्य भूमि के अनुपातिक दिये खेत की अनुशंसा की जायेगी।
4	सूक्ष्म सिंचाई	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रक्षण तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा minetjh.prosbcinfotech.com के लाइन पर ऑनलाइन आवेदन कराया जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।	ऑनलाइन आवेदन की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
5	कृषि उपलब्धों के भण्डार हेतु अनुज्ञप्ति	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रक्षण तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
6	कृषि उपकरण	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	कृषक के माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी एवं संबंधित अंचल स्तरीय समूह पर कृषि उपकरण उपलब्ध होगा से कृषि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु टोकन निर्गत किया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
7	खेती हेतु सलाह	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	फोटोन की समीक्षाकारी एवं समुचित समाधान के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	संपर्क पदाधिकारी/प्रक्षण तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र को व्हीपोर्टल संबंधित बीमा कम्पनी को स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी एवं स्वीकृति के उपरांत इस आशय की सूचना कृषकों को दी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
9	सिंचाई सुविधा	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	संपर्क पदाधिकारी/प्रक्षण तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की जानकारी के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी नलकूपों का जीर्णोद्धार, कच्चे आहर/पोखर हेतु डीजा निर्माण, डीप बोरिंग, बिजली पम्पसेट हेतु ट्रैक, पटवनोपयोग टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के प्रभारित कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।

क्र. सं.	उपलब्ध सेवा	कृषक के द्वारा की जाने वाली कारवाई	एसी क्लिनिक सेंटर द्वारा की जाने वाली कारवाई	अभ्युक्ति
10	सूचना केन्द्र	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न0 का उल्लेख रहेगा।	कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएँ आदि कृषकों की माँग पर उपलब्ध करायी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
11	पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार न. का उल्लेख रहेगा।	पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
12	कृषि उत्पादों को दर संबंधी वितरण		राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एसी क्लीनीक सेंटर के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।	

सरकार के सचिव,
झारखण्ड, रांची।

क्र.सं.	शिकायी एवं संधारण पदाधिकारी का नाम	प्रखण्ड का नाम	संख्या	उपवर्णित शीर्ष			
				TSP	OSP	SCSP	Total
1	जिला कृषि पदाधिकारी, राँची	राँची, मुरी	2	14.00	0.00	0.00	14.00
2	जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला	गुमला, चैनपुर, कामडारा	3	21.00	0.00	0.00	21.00
3	जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	लोहरदगा	1	7.00	0.00	0.00	7.00
4	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह– प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,	सिमडेगा	1	7.00	0.00	0.00	7.00
5	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह– प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,	खूँटी	1	7.00	0.00	0.00	7.00
6	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पू. सिंहभूम	धालभूमगढ़, घाटशिला	2	14.00	0.00	0.00	14.00
7	जिला कृषि पदाधिकारी, प. सिंहभूम	चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर	3	21.00	0.00	0.00	21.00
8	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह– प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,	सरायकेला, गम्हरिया	2	14.00	0.00	0.00	14.00
9	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह– प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,	लातेहार, महुआडांड़	2	14.00	0.00	0.00	14.00
10	जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका	दुमका	1	7.00	0.00	0.00	7.00
11	जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज	साहेबगंज, बरहरवा	2	14.00	0.00	0.00	14.00
12	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह– प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,	जामताड़ा	1	7.00	0.00	0.00	7.00
13	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पाकुड़	पाकुड़	1	7.00	0.00	0.00	7.00
		योग	22	154.00	0.00	0.00	154.00
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गिरीडीह	गिरीडीह, डुमरी, बोकारो, गोमिया	4	0.00	26.00	2.00	28.00
15	जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू	मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर	3	0.00	18.50	2.50	21.00
16	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गढ़वा	गढ़वा, रंका, भवनाथपुर	3	0.00	14.00	7.00	21.00
17	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, चतरा	चतरा, सिमरिया	2	0.00	14.00	0.00	14.00
18	जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग	हजारीबाग, बरही	2	0.00	14.00	0.00	14.00
19	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह– प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,	रामगढ़	1	0.00	0.00	7.00	7.00
20	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बोकारो	चास, बेरमो	2	0.00	14.00	0.00	14.00
21	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, देवघर	देवघर, मधुपुर	2	0.00	7.00	7.00	14.00
22	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, गोड्डा	गोड्डा, महागामा	2	0.00	8.00	6.00	14.00
23	जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद	धनबाद	1	0.00	7.00	0.00	7.00
24	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, कोडरमा	कोडरमा	1	0.00	7.00	0.00	7.00
		योग	23	0.00	129.50	31.50	161.00
		कुल योग	45	154.00	129.50	31.50	315.00

(तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये)

सरकार के सचिव
झारखण्ड, राँची।